GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD)/रेलवे बोर्ड

S.No.PC-VI/110
No. PC-V/2009/ACP/2

RBE No. 101 /2009
New Delhi, dated 10 .06.2009

The General Managers
All Indian Railways & PUs
(As per mailing list)

Sub: Recommendations of the Sixth Central Pay Commission - Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) for Railway Employees

The Sixth Central Pay Commission in Para 6.1.15 of its report, has recommended Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS). As per the recommendations, financial upgradation will be available in the next higher Grade Pay whenever an employee has completed 12 years continuous service in the same grade. However, not more than two financial upgradations shall be given in the entire career, as was provided in the previous Scheme. The Scheme will also be available to all posts belonging to Group 'A' whether isolated or not. However, organised Group "A" services will not be covered under the Scheme.

2. The Government has considered the recommendations of the Sixth Central Pay Commission for introduction of a MACPS and has accepted the same with further modification to grant three financial upgradations under the MACPS at intervals of 10, 20 and 30 years of continuous regular service.

3. The Scheme would be known as **MODIFIED ASSURED CAREER PROGRESSION SCHEME (MACPS) FOR RAILWAY EMPLOYEES.** This Scheme is in supersession of previous ACP Scheme and clarifications issued there under and shall be applicable to all regularly appointed Group 'A', 'B', and 'C' Railway Employees except officers of the Organised Group 'A' Service. The status of Group 'D' employees would cease on their completion of prescribed training, as recommended by the Sixth Central Pay Commission and would be treated as Group 'C' employees. Casual employees, including those granted 'temporary status' and employees appointed in the Railways only on adhoc or contract basis shall not qualify for benefits under the aforesaid Scheme. The details of the MACP Scheme and conditions for grant of the financial upgradation under the Scheme are given in Annexure.

4. A Screening Committee shall be constituted in each Department to consider the case for grant of financial upgradations under the MACP Scheme. The Screening Committee shall consist of a Chairperson and two members. The members of the Committee shall comprise officers holding posts which are at least one level above the grade in which the MACP is to be

considered and not below Senior Scale grade (PB-3, GP-Rs.6600/-). The Chairperson should generally be a grade above the members of the Committee.

5. The recommendations of the Screening Committee shall be placed before Railway Board (MS) in cases where the Committee is constituted in the Railway Board/Ministry or before the Head of the organisation/competent authority in other cases for approval.

6. In order to prevent undue strain on the administrative machinery, the Screening Committee shall follow a time-schedule and meet twice in a financial year – preferably in the first week of *January* and first week of *July* of a year for advance processing of the cases maturing in that half. Accordingly, cases maturing during the first-half (April-September) of a particular financial year shall be taken up for consideration by the Screening Committee meeting in the first week of January. Similarly, the Screening Committee meeting in the first week of July of any financial year shall process the cases that would be maturing during the second-half (October-March) of the same financial year.

7. However, to make the MACP Scheme operational, the Cadre Controlling Authorities shall constitute the first Screening Committee within a month from the date of issue of these instructions to consider the cases maturing upto 30th June, 2009 for grant of benefits under the MACPS.

8. The scheme would be operational w.e.f. 01.09.2008. In other words, financial upgradations as per the provisions of the earlier ACP Scheme (of October, 1999) would be granted till 31.08.2008.

9. No stepping up of pay in the Pay Band or Grade Pay would be admissible with regard to junior getting more pay than the senior on account of pay fixation under MACP Scheme.

10. It is clarified that no past cases would be re-opened. Further, while implementing the MACP Scheme, the differences in pay scales on account of grant of financial upgradation under the old ACP Scheme (of October 1999) and under the MACP Scheme within the same cadre shall not be construed as an anomaly.

11. Hindi version will follow.

(P. P. Pandey)
Director, Pay Commission
Railway Board

D:\garg\circulars\6th CPC\MACPS.doc

ANNEXURE

MODIFIED ASSURED CAREER PROGRESSION SCHEME (MACPS)

1. There shall be three financial upgradations under the MACPS, counted from the direct entry grade on completion of 10, 20 and 30 years of service respectively. Financial upgradation under the Scheme will be admissible whenever a person has spent 10 years continuously in the same Grade Pay.

2. The MACPS envisages merely placement in the immediate next higher Grade Pay in the hierarchy of the recommended revised Pay Bands and Grade Pay as given in Section 1 , Part-A of the first schedule of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008. Thus, the Grade Pay at the time of financial upgradation under the MACPS can, in certain cases where regular promotion is not between two successive grades, be different than what is available at the time of regular promotion. In such cases, the higher Grade Pay attached to the next promotion post in the hierarchy of the concerned cadre/organisation will be given only at the time of regular promotion.

3. The financial upgradations under the MACPS would be admissible upto the highest Grade Pay of Rs.12000/- in the PB-4.

4. Benefit of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under the Scheme. Therefore, the pay shall be raised by 3% of the total pay in the Pay Band and the Grade Pay drawn before such upgradation. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same Grade Pay as granted under MACPS. However, at the time of actual promotion if it happens to be in a post carrying higher Grade Pay than what is available under MACPS, no pay fixation would be available and only difference of Grade Pay would be made available. To illustrate, in case a Railway Servant joins as a direct recruit in the Grade Pay of Rs.1900 in PB-1 and he gets no promotion till completion of 10 years of service, he will be granted financial upgradation under MACPS in the next higher Grade Pay of Rs.2000 and his pay will be fixed by granting him one increment plus the difference of Grade Pay (i.e. Rs.100). After availing financial upgradation under MACPS, if the Railway servant gets his regular promotion in the hierarchy of his cadre, which is to the Grade Pay of Rs.2400, on regular promotion, he will only be granted the difference of Grade Pay between Rs.2000 and Rs.2400. No additional increment will be granted at this stage.

5. Promotions earned/upgradations granted under the ACP Scheme in the past to those grades which now carry the same Grade Pay due to merger of pay scales/upgradations of posts recommended by the Sixth Pay Commission shall be ignored for the purpose of granting upgradations under Modified ACPS.

Illustration

The pre-revised hierarchy (in ascending order) in a particular organisation was as follows:
Rs.5000-8000, Rs.5500-9000 & Rs.6500-10500.

(a) A Railway servant who was recruited in the hierarchy in the pre-revised pay scale Rs.5000-8000 and who did not get a promotion even after 25 years of service prior to 1.1.2006, in his case as on 1.1.2006, he would have got two financial upgradations under ACP to the next grades in the hierarchy of his organization, i.e., to the pre-revised scales of Rs.5500-9000 and Rs.6500-10500.

(b) Another Railway servant recruited in the same hierarchy in the pre-revised scale of Rs.5000-8000 has also completed about 25 years of service, but he got two promotions to the next higher grades of Rs.5500-9000 & Rs.6500-10500 during this period.

In the case of both (a) and (b) above, the promotions/financial upgradations granted under ACP to the pre-revised scales of Rs.5500-9000 and Rs.6500-10500 prior to 1.1.2006 will be ignored on account of merger of the pre-revised scales of Rs.5000-8000, Rs.5500-9000 and Rs.6500-10500 recommended by the Sixth CPC. As per the RS(RP) Rules, both of them will be granted Grade Pay of Rs.4200 in the Pay Band PB-2. After the implementation of MACPS, two financial upgradations will be granted both in the case of (a) and (b) above to the next higher Grade Pays of Rs.4600 and Rs.4800 in the Pay Band PB-2.

6. In the case of all the employees granted financial upgradations under ACPS till 01.01.2006, their revised pay will be fixed with reference to the pay scale granted to them under the ACPS.

6.1 In the case of ACP upgradations granted between 01.01.2006 and 31.08.2008, the Railway servant has the option under the RS(RP) Rules, 2008 to have his pay fixed in the revised pay structure either (a) w.e.f. 01.01.2006 with reference to his pre-revised scale as on 01.01.2006; or (b) w.e.f. the date of his financial upgradation under ACP with reference to the pre-revised scale granted under ACP. In case of option (b), he shall be entitled to draw his arrears of pay only from the date of his option, i.e. the date of financial upgradation under ACP.

6.2 In cases where financial upgradation had been granted to Railway servants in the next higher scale in the hierarchy of their cadre as per the provisions of the ACP Scheme of October, 1999, but whereas as a result of the implementation of Sixth CPC's recommendations, the next higher post in the hierarchy of the cadre has been upgraded by granting a higher Grade Pay, the pay of such employees in the revised pay structure will be fixed with reference to the higher Grade Pay granted to the post. To illustrate, in the case of Jr. Engineer in CPWD, who was granted 1st ACP in his hierarchy to the grade of Assistant Engineer in the pre-revised scale of Rs.6500-10500 corresponding to the revised Grade Pay of Rs.4200 in the Pay Band PB-2, he will now be granted Grade Pay of Rs.4600 in the Pay Band PB-2 consequent upon upgradation of the post of Asstt. Engineers in CPWD by granting them the Grade Pay of Rs.4600 in PB-2 as a result of Sixth CPC's recommendations. However, from the date of implementation of the MACPS, all the financial upgradations under the Scheme should be done strictly in accordance with the hierarchy of Grade Pays in Pay Bands as notified vide RS (RP) Rules, 2008.

7. With regard to fixation of his pay on grant of promotion/financial upgradation under MACP Scheme, a Railway servant has an option under Rule 1313(1)(a)(i) of the Indian Railway

Establishment Code-Volume II, (Sixth Edition 1987 – 2nd Reprint, 2005) [FR 22(1)(a)(i)] to get his pay fixed in the higher post/Grade Pay either from the date of his promotion/upgradation or from the date of his next increment viz. 1st July of the year. The pay and the date of increment would be fixed in accordance with clarification no.2 of Railway Board's letter No.PC-VI/2008/I/RSRP/1 dated 25-9-2008 (PC-VI/22, RBE No.132/2008)

8. Promotions earned in the post carrying same Grade Pay in the promotional hierarchy as per Recruitment Rules shall be counted for the purpose of MACPS.

8.1 Consequent upon the implementation of Sixth CPC's recommendations, Grade Pay of Rs.5400 is now in two Pay Bands viz., PB-2 and PB-3. The Grade Pay of Rs.5400 in PB-2 and Rs.5400 in PB-3 shall be treated as separate Grade Pays for the purpose of grant of upgradations under MACPS.

9. **'Regular service'** for the purpose of the MACPS shall commence from the date of joining of a post in direct entry grade on a regular basis either on direct recruitment basis or on absorption/re-employment basis. Service rendered on adhoc/contract basis before regular appointment on pre-appointment training shall not be taken into reckoning. However, past continuous regular service in another Government/Department in a post carrying same Grade Pay prior to regular appointment in a new Department, without a break, shall also be counted towards qualifying regular service for the purpose of MACPS only (and not for the regular promotions). However, benefits under the MACPS in such cases shall not be considered till the satisfactory completion of the probation period in the new post.

10. Past service rendered by a Railway employee in a State Government/statutory body/Autonomous body/Public Sector organisation, before appointment in the Railways shall not be counted towards Regular Service.

11. 'Regular service' shall include all periods spent on deputation/foreign service, study leave and all other kind of leave, duly sanctioned by the competent authority.

12. The MACPS shall also be applicable to work charged employees, if their service conditions are comparable with the staff of regular establishment.

13. Existing time-bound promotion scheme, including in-situ promotion scheme, Staff Car Driver Scheme or any other kind of promotion scheme existing for a particular category of employees in the Railways, may continue to be operational for the concerned category of employees if it is decided by the concerned administrative authorities to retain such Schemes, after necessary consultations or they may switch-over to the MACPS. However, these Schemes shall not run concurrently with the MACPS.

14. The MACPS is directly applicable only to the Railway employees. It will not get automatically extended to employees of the Autonomous/Statutory Bodies under the administrative control of the Ministry of Railways. Keeping in view the financial implications involved, a conscious decision in this regard shall have to be taken by the Governing

Body/Board of Directors and Ministry of Railways and where it is proposed to adopt the MACPS, prior concurrence of Ministry of Finance shall be obtained.

15. If a financial upgradation under the MACPS is deferred and not allowed after 10 years in a Grade Pay, due to the reason of the employees being unfit or due to departmental proceedings, etc., this would have consequential effect on the subsequent financial upgradation which would also get deferred to the extent of delay in grant of first financial upgradation.

16. On grant of financial upgradation under the Scheme, there shall be no change in the designation, classification or higher status. However, financial and certain other benefits which are linked to the pay drawn by an employee such as HBA, allotment of Government accommodation shall be permitted.

17. The financial upgradation would be on non-functional basis subject to fitness, in the hierarchy of Grade Pay within the PB-1.Thereafter for upgradation under the MACPS the benchmark of 'good' would be applicable till the Grade Pay of Rs. 6600/- in PB-3. The benchmark will be 'Very Good' for financial upgradation to the Grade Pay of Rs.7600 and above.

18. In the matter of disciplinary/penalty proceedings, grant of benefit under the MACPS shall be subject to rules governing normal promotion. Such cases shall, therefore, be regulated under the provisions of the Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1968 and instructions issued there under.

19. The MACPS contemplates merely placement on personal basis in the immediate higher Grade Pay/grant of financial benefits only and shall not amount to actual/functional promotion of the employees concerned. Therefore, no reservation orders/roster shall apply to the MACPS, which shall extend its benefits uniformly to all eligible SC/ST employees also. However, the rules of reservation in promotion shall be ensured at the time of regular promotion. For this reason, it shall not be mandatory to associate members of SC/ST in the Screening Committee meant to consider cases for grant of financial upgradation under the Scheme.

20. Financial upgradation under the MACPS shall be purely personal to the employee and shall have no relevance to his seniority position. As such, there shall be no additional financial upgradation for the senior employees on the ground that the junior employee in the grade has got higher pay/Grade Pay under the MACPS.

21. Pay drawn in the Pay Band and the Grade Pay allowed under the MACPS shall be taken as the basis for determining the terminal benefits in respect of the retiring employee.

22. If a Group 'A' Railway employee, who was not covered under the ACP Scheme has now become entitled to say, third financial upgradation directly, having completed 30 years' regular service, his pay shall be fixed successively in next three immediate higher Grade Pays in the hierarchy of revised Pay Bands and Grade Pays allowing the benefit of 3% pay fixation at every stage. Pay of persons becoming eligible for second financial upgradation may also be fixed accordingly.

23. In case an employee is declared surplus in his/her organisation and appointed in the same pay scale or lower scale of pay in the new organization, the regular service rendered by him/her in the previous organisation shall be counted towards the regular service in his/her new organisation for the purpose of giving financial upgradation under the MACPS.

24. In case, an employee after getting promotion/ACP seeks unilateral transfer on a lower post or lower scale, he will be entitled only for second and third financial upgradations on completion of 20/30 years of regular service under the MACPS, as the case may be, from the date of his initial appointment to the post in the new organization.

25. If a regular promotion has been offered but was refused by the employee before becoming entitled to a financial upgradation, no financial upgradation shall be allowed as such an employee has not been stagnated due to lack of opportunities. If, however, financial upgradation has been allowed due to stagnation and the employee subsequently refuses the promotion, it shall not be a ground to withdraw the financial upgradation. He shall, however, not be eligible to be considered for further financial upgradation till he agrees to be considered for promotion again and the second or the next financial upgradation shall also be deferred to the extent of period of debarment due to the refusal.

26. Cases of persons holding higher posts purely on adhoc basis shall also be considered by the Screening Committee along with others. They may be allowed the benefit of financial upgradation on reversion to the lower post or if it is beneficial vis-à-vis the pay drawn on adhoc basis.

27. Employees on deputation need not revert to the parent Department for availing the benefit of financial upgradation under the MACPS. They may exercise a fresh option to draw the pay in the Pay Band and the Grade Pay of the post held by them or the Pay plus Grade Pay admissible to them under the MACPS, whichever is beneficial.

28. **Illustration:-**

A. (i) If a Railway servant (LDC) in PB-1 in the Grade Pay of Rs.1900 gets his first regular promotion (UDC) in PB-1 in the Grade Pay of Rs.2400 on completion of 8 years of service and then continues in the same Grade Pay for further 10 years without any promotion then he would be eligible for 2nd financial upgradation under the MACPS in PB-1 in the Grade Pay of Rs.2800 after completion of 18 years (8+10 years).

(ii) In case he does not get any promotion thereafter, then he would get 3rd financial upgradation in PB-2 in Grade Pay of Rs.4200 on completion of further 10 years of service i.e. after 28 years (8+10+10).

(iii) However, if he gets 2nd promotion after 5 years of further service in PB-2 in the Grade Pay of Rs.4200 (Assistant Grade/Grade 'C') i.e. on completion of 23 years (8+10+5years) then he would get 3rd financial upgradation after completion of 30 years i.e. 10 years after the 2nd ACP in PB-2 in the Grade Pay of Rs.4600.

In the above scenario, the pay shall be raised by 3% of the total pay in the Pay Band and Grade Pay drawn before such upgradation. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same Grade Pay or in the higher Grade Pay. Only the difference of Grade Pay would be admissible at the time of promotions.

B. If a Railway servant (LDC) in PB-1 in the Grade Pay of Rs.1900 is granted 1st financial upgradation under the MACPS on completion of 10 years of service in PB-1 in the Grade Pay of Rs.2000 and 5 years later he gets 1st regular promotion (UDC) in PB-1 in the Grade Pay of Rs.2400, the 2nd financial upgradation under MACPS (in the next Grade Pay w.r.t. Grade Pay held by Railway servant) will be granted on completion of 20 years of service in PB-1 in the Grade Pay of Rs.2800. On completion of 30 years of service, he will get 3rd ACP in the Grade Pay of Rs. 4200. However, if two promotions are earned before completion of 20 years, only 3rd financial upgradation would be admissible on completion of 10 years of service in Grade Pay from the date of 2nd promotion or at the 30th year of service, whichever is earlier.

C. If a Railway servant has been granted either two regular promotions or 2nd financial upgradation under the ACP Scheme of October, 1999 after completion of 24 years of regular service then only 3rd financial upgradation would be admissible to him under the MACPS on completion of 30 years of service provided that he has not earned third promotion in the hierarchy.

(P. P. Pandey)
Director, Pay Commission
Railway Board

* * * *

(Authority: DoP&T's OM No.35034/3/2008-Estt.(D) dated 19th May 2009)

D:\garg\circulars\6th CPC\MACPS.doc

ILLUSTRATIONS

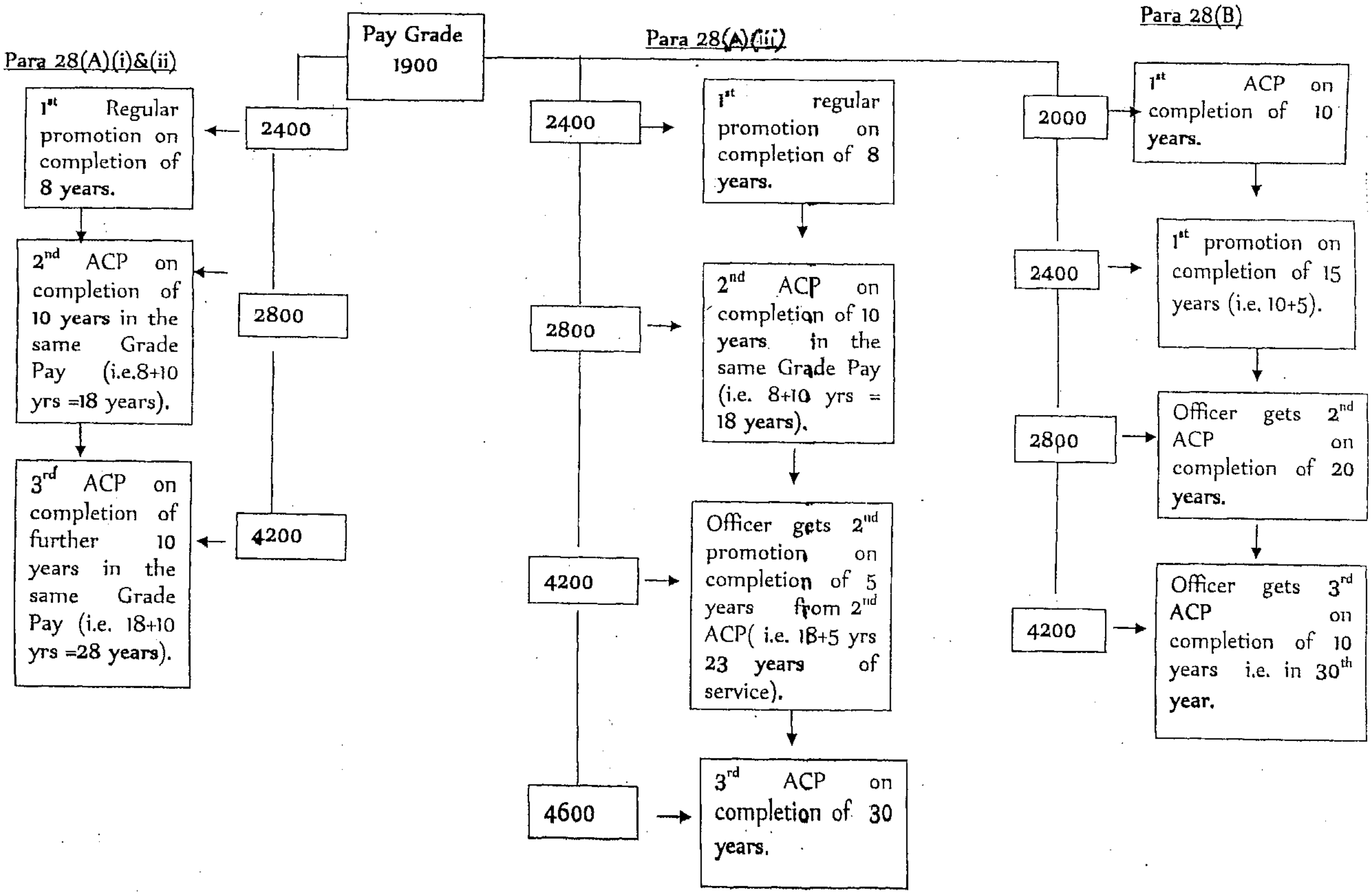

No.PC-V/2009/ACP/2 New Delhi, dated 10.06.2009

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.

For Financial Commissioner, Railways

No.PC-V/2009/ACP/2 New Delhi, dated 10.06.2009

Copy forwarded to :-

1) The General Secretary, NFIR (with 35 spares)
2) The General Secretary, AIRF (with 35 spares)
3) The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares)
4) The Secretary General FROA
5) The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association
6) The President, Railway Board Group 'B' Officers' Association
7) The Secretary General, IRPOF
8) The Secretary General, All India RPF Association
9) The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association
10) The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association
11) Railway Board Promotee Officers Association, Room No, 341-C, Rail Bhawan.

for Secretary, Railway Board

Copy to:-

1. The GMs, N.F. Railway (Const.),CAO, SR (Const.) and CR (Const.)
2. FA & CAOs, All Indian Railways, PUs, NFR (Const.), SR (Const.) & CR (Const.)
3. The General Managers, RDSO, Lucknow
4. The General Manager and FA & CAO, Metro Railway/Calcutta
5. The CAO and FA & CAO, COFMOW/New Delhi
6. The General Manager and FA & CAO, CORE/Allahabad
7. The Director General, Railway Staff College/Vadodara
8. The CAO (Const.), MTP(R)/Mumbai
9. The CAO (Const.), MTP(R)/Chennai
10. The Director, CAMTECH/Gwalior-474020
11. The Director, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road, IRIMEE/Jamalpur, IRISET/Secunderabad
12. The Managing Director, RITES, IRCON, IRFC, CONCOR, Executive Director, CRIS
13. The Chairman and Managing Director, KRC Limited/New Delhi
14. O/o Chief Project Administrator (Telecom), IRCOT Consultancy, Shivaji Bridge/ Delhi.
15. The Director (Movement), Railways/Calcutta
16. The Joint Director(Finance), RDSO, Lucknow
17. The Joint Director, Mil Rail, Ministry of Defence

D:\garg\circulars\6th CPC\MACPS doc

18. The Joint Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street/Calcutta
19. Chief Mining Advisor, Ministry of Railways, Dhanbad, Bihar
20. The Chairman, RCC, Lok Sabha Secretariat/New Delhi
21. The Chairman, RCT/Delhi
22. The Chairman, RRT/Chennai
23. The Chairman, RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Calcutta, Jammu, Gorakhpur, Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad and Trivandrum
24. The Editor, 'Bhartiya Rail', Room No.469, Rail Bhawan.
25. The Editor 'Indian Railways', Room No.411, Rail Bhawan.
26. The Pay & Accounts Officer, Ministry of Railways (Railway Board)
27. The General Secretary, IRCA, DRM Office Complex, State Entry Road, New Delhi
28. The Commissioner, Railway Safety/Lucknow
29. M/s Bahri Brothers, Lajpat Rai Market/Delhi
30. The Editor, 'Rail Rajbhasha', Rom No.543, Rail Bhawan
31. Rail Vikas Nigam Ltd., C-2/10, Safdarjang Development Area, Aurbindo Marg, N. Delhi-16

9/6/08

(P. P. Pandey)
Director, Pay Commission
Railway Board

Copy to :-

PPSs/PSs/Sr. PAs/PAs to :-

MR, MSR(V), MSR(N), CRB, FC, MS, MT, ME, ML, MM, DG/RHS, DG/RPF, AM(B), AM(CE), AM(C), AM(C&IS), AM(Elec), AM(F), AM(Plg), AM(Projects), AM(Sig), AM(Mech), AM(PU), AM(RS), AM(T&C), AM(Telecom), AM(T), AM(Vig), AM(Works), AM(Staff), Adv(F), Adv(IR), Adv(L&A), Adv(Safety), Adv.(Infrastructure), Adv(Legal), Add. Chief Economic Adviser, Secretary, ED(Plg), ED(A), EDF(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg), ED(Chg), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev), EDEE(G), EDEE(RS), EDE, EDE(RRB), EDE(N), EDE(Res), EDF(C), EDF(E), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), ED(LM), ED(MIS), EDE(GC), EDT(MPP), EDME(Chg), EDME(Fr), EDME(Tr), EDME(TOT), EDME(Dev), EDME(W), EDPC-I, EDPC-II, ED(PP), ED(Proj)-DMRC, ED(RE), EDRE(S&T), EDRE(S), ED(Safety), ED(Sig), ED(S&E), EDRS(C), EDRS(P), EDRS(G), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), EDTrack(M), EDTrack(MC), EDTrack(P), ED(T&C), ED(CP), ED(PM), ED(PG), EDT(R), EDTC(FM), EDTT(M), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(S), EDV(T), ED(W), JS, JS(G), JS(E), JS(C), DS(D), DS(G), DS(E), DF(E), JDPG, DE(N), Dir(MPP), DE(G), DPC-I, DPC-II, JDPC-I, JDPC-II, JDE(N), JDE(P&A), JDE(GC), JDE(Gaz), JDE(W), JDE(GP), JDE(Res.) I, JDE(L), DDF(E) I, II & III, DDPC-V, USE(O)I, US(D&A) I & II, DDE(LR) I, II & III/Railway Board

Copy to :-

Cash - I, II, & III, Budget, E(P&A) I & II, E(G), E(NG) I & II, PC – III, PC-IV, E(Trg.), E(MPP), E(LR) I & II, F(E) - I, II & III, F(E) Special, Security (E), Accounts III, ERB - I, II, III, IV, V & D, G(Pass), G(Acc), E(Welfare), E(SCT), E(O) I, II III & III(CC), E(GR) I & II, E(GP), E(GC), PR, E(D&A), C&IS.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पीसी-VI/110
सं. पीसी-V/2009/एसीपी/2

आरबीई सं. 101/2009
नई दिल्ली, दिनांक: 10.06.2009

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें - रेल कर्मचारियों के लिए आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस)।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 6.1.15 में आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना की सिफारिश की है। सिफारिशों के अनुसार, वित्तीय अपग्रेडेशन कर्मचारी के एक ही ग्रेड में 12 वर्ष की सतत सेवा पूरी करने पर अगले उच्चतर ग्रेड पे में उपलब्ध होगा। बहरहाल, संपूर्ण कैरियर में दो से अधिक वित्तीय अपग्रेडेशन नहीं प्रदान किए जाएंगे, जैसा कि पूर्व योजना में प्रावधान था। यह योजना समूह 'क' के सभी पदों के लिए भी उपलब्ध होगी, चाहे वे पद अलग-थलग हों अथवा नहीं। बहरहाल, समूह 'क' की संगठित सेवाएं इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होंगी।

2. सरकार ने आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना शुरू करने के लिए छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है और उसे आगे और आशोधित करते हुए 10, 20 एवं 30 वर्षों की सतत नियमित सेवा के अंतरालों पर आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत तीन वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करने के लिए इसे स्वीकार किया है।

3. यह योजना **"रेलवे कर्मचारियों के लिए आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना"** के रूप में जानी जाएगी। यह योजना पूर्व एसीपी योजना के अधिक्रमण में है और इसके अंतर्गत जारी स्पष्टीकरण समूह 'क' की संगठित सेवा के अधिकारियों को छोड़कर नियमित रूप से नियुक्त किए गए सभी समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' रेलवे कर्मचारियों पर लागू होंगे। समूह 'घ' कर्मचारियों का ओहदा निर्धारित प्रशिक्षण के पूरा होने पर समाप्त हो जाएगा, जैसा कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई है और इसे समूह 'ग' कर्मचारियों के रूप में माना जाएगा। नैमित्तिक कर्मचारी, जिनमें 'अस्थाई ओहदा' प्रदान किए गए कर्मचारी भी शामिल हैं एवं रेलों में केवल तदर्थ अथवा ठेके के आधार पर नियुक्त कर्मचारी उक्त योजना के अंतर्गत लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे। आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के ब्यौरे और इस योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करने के लिए शर्तें अनुबंध में दी गई हैं।

4. आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करने के मामलों पर विचार करने के लिए प्रत्येक विभाग में एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी में एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य शामिल होंगे। कमेटी के सदस्यों में वे अधिकारी शामिल होंगे, जो कम से कम उस ग्रेड जिसमें आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना पर विचार किया जाना है, के एक स्तर ऊपर के हों और वरिष्ठ वेतनमान ग्रेड (पीबी-3, ग्रेड पे 6600/- रुपए) से नीचे नहीं होने चाहिए। अध्यक्ष सामान्यतया समिति के सदस्यों के एक ग्रेड ऊपर का होना चाहिए।

5. स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशें, अनुमोदन के लिए रेलवे बोर्ड/मंत्रालय में गठित की गई कमेटी के मामलों में रेलवे बोर्ड (सदस्य कार्मिक) के समक्ष अथवा अन्य मामलों में संगठन के प्रधान/सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखी जाएंगी।

6. प्रशासनिक तंत्र पर अनावश्यक भार से बचने के लिए, स्क्रीनिंग कमेटी समय अनुसूची का पालन करेगी और वित्तीय वर्ष में दो बार बैठक करेगी - यह बेहतर होगा कि वर्ष में जनवरी और जुलाई के प्रथम सप्ताह में बैठक हो ताकि उस छमाही में परिपक्व होने वाले मामलों में अग्रिम में कार्रवाई की जा सके। तदनुसार, किसी वित्तीय वर्ष के पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के दौरान परिपक्व होने वाले मामलों पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक द्वारा विचार किया जाएगा। इसी प्रकार, किसी वित्तीय वर्ष में जुलाई के प्रथम सप्ताह में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उसी वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही (अक्तूबर-मार्च) के दौरान परिपक्व होने वाले मामलों पर कार्रवाई की जाएगी।

7. बहरहाल, आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना को कार्यान्वित करने के लिए, कॉडर नियंत्रण प्राधिकारी आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए 30 जून, 2009 तक परिपक्व होने वाले मामलों पर विचार करने के लिए इन अनुदेशों के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर प्रथम स्क्रीनिंग कमेटी गठित करेगा।

8. यह योजना 01.09.2008 से परिचालित की जाएगी। दूसरे शब्दों में, पूर्ववर्ती एसीपी योजना (अक्तूबर 1999 वाली) के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय अपग्रेडेशन 31.08.2008 तक प्रदान किया जाएगा।

9. आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वेतन निर्धारण के मामले में यदि एक कनिष्ठ, वरिष्ठ से अधिक वेतन लेता है, तो पे बैंड अथवा ग्रेड पे में वेतन की स्टेपिंग अप अनुमेय नहीं होगी।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व के किसी भी मामले को पुनः नहीं खोला जाएगा। इसके अलावा, आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना को कार्यान्वित करते समय, पुरानी एसीपी योजना (अक्तूबर 1999 वाली) के अंतर्गत और उसी कॉडर के भीतर आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करने में वेतनमानों में भिन्नताओं को असंगति के रूप में नहीं माना जाएगा।

(पी.पी. पाण्डे)
निदेशक, वेतन आयोग,
रेलवे बोर्ड

अनुबंध

आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस)

1. आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत तीन वित्तीय अपग्रेडेशन दिए जाएंगे, जिनकी गणना सीधे एंट्री ग्रेड के स्तर से क्रमशः 10, 20 और 30 वर्ष पूरे होने के बाद की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने एक ग्रेड-पे में 10 वर्षों की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, तो उसे इस योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन अनुमेय होगा।

2. आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना में केवल रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की पहली अनुसूची के भाग-ए के सेक्शन (धारा)-1 में दिए गए अनुशंसित संशोधित पे बैंड्स और ग्रेड-पे के पदक्रम में ठीक अगला उच्चतर ग्रेड दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार, आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन के समय, कुछ मामलों में, जहां नियमित पदोन्नति दो क्रमिक ग्रेडों के बीच नहीं हो, ग्रेड-पे नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध ग्रेड-पे से भिन्न भी हो सकती है। ऐसे मामलों में, संबंधित संवर्ग/संगठन के पदक्रम में पदोन्नति के अगले पद से जुड़ा उच्चतर ग्रेड-पे केवल नियमित पदोन्नति के समय ही दिया जाएगा।

3. आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन पे बैंड-4 में 12000/- रुपए के उच्चतर ग्रेड-पे तक अनुमेय होगा।

4. नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध वेतन निर्धारण का लाभ इस योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन के समय भी अनुमेय होगा। अतः वेतन में पे-बैंड में कुल वेतन और ऐसे अपग्रेडेशन से पहले प्राप्त ग्रेड-पे में 3% की बढ़ोतरी होगी। परन्तु यदि यह आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए ग्रेड-पे के समान ही हो तो नियमित पदोन्नति के समय आगे कोई वेतन निर्धारण नहीं होगा परन्तु वास्तविक पदोन्नति के समय, यदि पदोन्नति वाले पद का ग्रेड-पे आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उपलब्ध ग्रेड-पे से अधिक है, तो कोई वेतन निर्धारण नहीं होगा और केवल ग्रेड-पे के बीच का अंतर ही दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई रेलकर्मी सीधी भर्ती द्वारा पे-बैंड-1 में 1900/- के ग्रेड-पे पर ज्वाइन करता है और 10 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद भी उसे कोई पदोन्नति नहीं मिलती है, तो उसे आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत 2000/- रुपए के अगले उच्चतर ग्रेड-पे में वित्तीय अपग्रेडेशन दिया जाएगा और उसके वेतन का निर्धारण एक वेतनवृद्धि एवं ग्रेड-पे के बीच का अंतर (100/- रुपए) प्रदान करते हुए किया जाएगा। आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन का लाभ लेने के बाद, यदि रेलकर्मी को अपने संवर्ग में नियमित पदोन्नति, जो 2400/- रुपए का ग्रेड-पे है, मिल जाती है तो उसे केवल ग्रेड-पे 2000/- रुपए और 2400/- रुपए के बीच का अंतर ही प्रदान किया जाएगा। उस समय कोई अतिरिक्त वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी।

5. विगत में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत उन ग्रेडों में प्राप्त की गई पदोन्नतियों/प्रदान किए गए अपग्रेडेशनों को जिनकी ग्रेड पे अब छठे वेतन आयोग द्वारा संस्तुत पदों वेतनमानों/अपग्रेडेशनों के विलय के कारण एक समान हो गई है, आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत अपग्रेडेशन प्रदान करने के प्रयोजन के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

उदाहरण

किसी संगठन विशेष में संशोधन पूर्व पद-क्रम (बढ़ते क्रम में) इस प्रकार था: 5000-8000 रुपए, 5500-9000 रुपए और 6500-10500 रुपए।

(क) एक रेलकर्मी जिसकी भर्ती संशोधन पूर्व वेतनमान 5000-8000/- रुपए के पद क्रम में हुई थी और जिसे 25 वर्षों की सेवा के बावजूद 01.01.2006 से पहले कोई पदोन्नति नहीं मिली, तो उसके मामले में 01.01.2006 तक सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उसे अपने संगठन के पद क्रम के अगले ग्रेडों में, अर्थात् संशोधन पूर्व वेतनमानों 5500-9000 रुपए और 6500-10500 रुपए में उसे दो वित्तीय अपग्रेडेशन मिल गए होते।

(ख) 5000-8000 रुपए के संशोधन पूर्व वेतनमान के समान पद क्रम में नियोजित एक अन्य रेलकर्मी ने भी 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, लेकिन इस अवधि के दौरान उसे अगले उच्चतर ग्रेडों 5500-9000 रुपए और 6500-10500 रुपए में दो पदोन्नतियां मिल चुकी हैं।

उपरोक्त (क) और (ख) दोनों मामलों में, 01.01.2006 के पूर्व 5500-9000 रुपए और 6500-10500 रुपए के संशोधन पूर्व वेतनमानों में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत दी गई पदोन्नतियां/वित्तीय अपग्रेडेशन को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधन पूर्व वेतनमानों 5000-8000 रुपए, 5500-9000 रुपए और 6500-10500 रुपए का विलय हो जाने के कारण, नजरअंदाज कर दिया जाएगा। आरएस (आरपी) नियमों के अनुसार दोनों को पे-बैंड-2 में 4200 का ग्रेड-पे प्रदान किया जाएगा। आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना लागू हो जाने के बाद उपरोक्त (क) और (ख) दोनों मामले में पे बैंड-2 में अगले उच्चतर ग्रेड-पे 4600 रुपए और 4800 रुपए के ग्रेड-पे के दो वित्तीय अपग्रेडेशन दिए जाएंगे।

6. ऐसे सभी कर्मचारियों, जिन्हें 01.01.2006 तक सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन दिया जा चुका है, के मामले में उनके संशोधित वेतन का निर्धारण सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उन्हें दिए गए वेतनमान के अनुसार किया जाएगा।

6.1 01.01.2006 और 31.08.2008 के बीच सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत प्राप्त अपग्रेडेशन के मामले में, रेलकर्मी के लिए आरएस (आरपी) नियम, 2008 के अंतर्गत संशोधित वेतन संरचना में वेतन निर्धारित करवाने के दो विकल्प - होंगे या तो वह (क) 01.01.2006 को अपने संशोधन पूर्व वेतनमान के अनुसार 01.01.2006 से प्रभावी निर्धारण करा सकेगा या (ख) सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत प्राप्त संशोधन पूर्व वेतनमान के अनुसार सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत अपने वित्तीय अपग्रेडेशन की तारीख से प्रभावी। विकल्प (ख) के मामले में, कर्मचारी अपने विकल्प की तारीख से अर्थात् सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन की तारीख से ही पिछली बकाया राशि (एरियर्स) पाने का हकदार होगा।

6.2 ऐसे मामलों में, जहां रेलकर्मी को अक्तूबर, 1999 की सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के प्रावधानों के अनुसार उनके संवर्ग के पदक्रम में अगले उच्चतर वेतनमान में अपग्रेडेशन दिया गया था, लेकिन अब छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाने के परिणामस्वरूप, उस संवर्ग के पदक्रम में अगले उच्चतर पद को उच्चतर ग्रेड-पे प्रदान करते हुए अपग्रेड कर दिया गया है, तो संशोधित वेतन संरचना में ऐसे कर्मचारियों का वेतन उस पद को प्रदत्त उच्चतर ग्रेड-पे के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, सीपीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर के मामले में, जिसे उसके पदक्रम में संशोधन पूर्व 6500-10500 रुपए के वेतनमान, जो पे-बैंड-2 में 4200 रुपए के संशोधित ग्रेड-पे के समतुल्य है, में सहायक इंजीनियर के ग्रेड में पहली सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना प्रदान की गई थी, उसे अब पे-बैंड-2 में 4600 रुपए की ग्रेड-पे प्रदान की जाएगी, क्योंकि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सीपीडब्ल्यूडी में सहायक इंजीनियरों के पद को अपग्रेड करके पे-बैंड-2 में 4600 रुपए की ग्रेड-पे दी गई है। परन्तु, आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना लागू होने की तारीख से, इस योजना के अंतर्गत सभी वित्तीय अपग्रेडशन केवल आरएस (आरपी) नियम, 2008 के माध्यम से की गई अधिसूचना के अनुसार पे-बैंड्स में ग्रेड-पे के पदक्रम के अनुसार ही की जानी चाहिए।

7. आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत पदोन्नति/वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किए जाने पर अपने वेतन निर्धारण के संबंध में, किसी रेलकर्मी के पास भारतीय रेल स्थापना संहिता- वॉल्यूम-II (छठा संस्करण 1987-दूसरा पुनर्मुद्रण, 2005) [एफआर 22 (I) (क) (i)] के नियम 1313 (1) (क) (i) के अंतर्गत एक विकल्प है, कि वह अपने वेतन का उच्चतर पद/ग्रेड-पे में निर्धारण अपने पदोन्नति/अपग्रेडेशन की तारीख या अपनी अगली वेतनवृद्धि की तारीख अर्थात् उस वर्ष की 1 जुलाई से करवा सकता है। वेतन और वेतनवृद्धि की तारीख का निर्धारण रेलवे बोर्ड के दिनांक 25.09.2008 के पत्र सं. पीसी-VI/2008/I/आरएसआरपी/1 (पीसी-VI/22, आरबीई सं. 132/2008) के स्पष्टीकरण सं.2 के अनुसार किया जाएगा।

8. आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के प्रयोजन के लिए भर्ती नियम के अनुसार पदोन्नति संबंधी पदक्रम में समान ग्रेड-पे वाले पद में प्राप्त पदोन्नति की गणना की जाएगी।

8.1 छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाने के फलस्वरूप 5400 रुपए के ग्रेड-पे अब दो पे-बैंडों अर्थात् पे-बैंड-2 और पे-बैंड-3 में हैं। आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत अपग्रेडेशन प्रदान करने के लिए पे-बैंड-2 में 5400 रुपए के ग्रेड-पे और पे-बैंड-3 में 5400 रुपए के ग्रेड-पे को अलग-अलग ग्रेड-पे माना जाएगा।

9. आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के प्रयोजन के लिए **"नियमित सेवा"** की शुरूआत नियमित आधार पर सीधी एंट्री ग्रेड में या सीधी भर्ती के आधार पर या एब्जॉर्ब्शन/रि-एम्प्लॉयमेंट आधार पर किसी पद को ज्वाइन करने की तारीख से मानी जाएगी। नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण पर नियमित नियुक्ति से पहले तदर्थ/संविदा आधार पर की गई सेवा की गणना नहीं की जाएगी। बहरहाल, आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के प्रयोजन के लिए (नियमित पदोन्नतियों के लिए नहीं) किसी नए विभाग में बिना किसी व्यवधान के नियमित नियुक्ति से पहले किसी अन्य सरकार सेवा/विभाग में की गई विगत की निरंतर नियमित सेवा की गणना भी की जाएगी। बहरहाल, नए पद पर परिवीक्षा की अवधि के संतोषजनक रूप से पूरा होने तक, ऐसे मामलों में आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना का लाभ देने पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. रेलवे में नियुक्त किसी रेल कर्मचारी द्वारा पहले किसी राज्य सरकार/वैधानिक निकाय/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन में की गई विगत सेवा की गणना नियमित सेवा के लिए नहीं की जाएगी।

11. "नियमित सेवा" में प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत अध्ययन के लिए छुट्टी और अन्य सभी प्रकार की छुट्टियों की संपूर्ण अवधियां शामिल होंगी।

12. आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर भी लागू होंगी, बशर्ते कि कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवा शर्तें नियमित स्थापना के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के समतुल्य हों।

13. यदि संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक परामर्श के बाद ऐसा निर्णय लिया जाए तो मौजूदा समयबद्ध पदोन्नति योजना, जिसमें स्वस्थाने पदोन्नति की योजना, स्टाफ कार ड्राइवर योजना या रेलवे में कर्मचारियों के किसी खास संवर्ग के लिए मौजूद किसी अन्य प्रकार की पदोन्नति योजना

ा शामिल है, कर्मचारियों के संबंधित संवर्ग के लिए जारी रहेगी अथवा वे आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना को चुन सकते हैं। परन्तु ये योजनाएं आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के साथ-साथ नहीं चलेंगी।

14. आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना केवल रेलकर्मियों पर सीधे लागू होती है। रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्त/सांविधिक निकायों के कर्मचारियों पर यह योजना स्वत: लागू नहीं होगी। इसके वित्तीय फलितार्थों को ध्यान में रखते हुए, शासी निकाय/निदेशक मंडल और रेल मंत्रालय द्वारा इस संबंध में एक सुविचारित निर्णय लिए जाने की जरूरत है और जहां आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना अपनाने का प्रस्ताव किया जाए, वहां वित्त मंत्रालय से पूर्व सहमति ली जाएगी।

15. यदि आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन को आस्थगित किया जाता है और कर्मचारियों के अनफिट होने या विभागीय कार्यवाही आदि के कारण कर्मचारी को एक ग्रेड-पे में 10 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी वित्तीय अपग्रेडेशन नहीं दिया जाता है, तो इसका प्रभाव आगे (अनुगामी) वित्तीय अपग्रेडेशन पर भी पड़ेगा और इसमें भी उतना ही विलंब होगा, जितना पहला वित्तीय अपग्रेडेशन देने में हुआ था।

16. इस योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन मिलने पर पदनाम, वर्गीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा या उच्चतर स्टेटस प्राप्त नहीं होगा। परन्तु, कर्मचारी के वेतन से जुड़े वित्तीय और कुछ अन्य लाभ जैसे एचबीए, सरकारी आवास के आबंटन की अनुमति होगी।

17. पे-बैंड-1 के अंतर्गत ग्रेड-पे के पदक्रम में, वित्तीय अपग्रेडेशन फिटनेस की शर्त पर ग़ैर-कार्यात्मक आधार पर होगा। उसके बाद आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत अपग्रेडेशन के लिए पे-बैंड-3 में 6600 रुपए के ग्रेड-पे तक 'अच्छा' का 'बेंचमार्क' लागू होगा। 7600 रुपए और इससे अधिक के ग्रेड-पे में वित्तीय अपग्रेडेशन के लिए बेंचमार्क 'बहुत अच्छा' होगा।

18. अनुशासनात्मक/दंडात्मक कार्यवाहियों के मामले में, आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत लाभ, सामान्य पदोन्नति को शासित करने वाले नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा। अत: ऐसे मामले रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 और इसके अंतर्गत जारी अनुदेशों के अनुसार विनियमित होंगे।

19. आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना का उद्देश्य व्यक्तिगत आधार पर ठीक अगले ग्रेड-पे में रखने या/वित्तीय लाभ देना है और संबंधित कर्मचारियों के वास्तविक/कार्यात्मक पदोन्नति से इसका कोई संबंध नहीं है। अत: आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना में कोई आरक्षण आदेश/रोस्टर लागू नहीं होगा और सभी पात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को भी समान रूप से इस योजना का लाभ मिलेगा। परन्तु नियमित पदोन्नति के समय पदोन्नति में आरक्षण के नियम सुनिश्चित किए जाएंगे। इस कारण, इस योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन देने के मामलों पर विचार करने वाली स्क्रीनिंग कमेटी में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य नहीं होगा।

20. आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन कर्मचारी के लिए पूर्णतया व्यक्तिगत होगा और इसका उसकी वरीयता की स्थिति से कोई संबंध नहीं होगा। अत: वरिष्ठ कर्मचारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय अपग्रेडेशन नहीं दिया जाएगा कि उसके ग्रेड के कनिष्ठ कर्मचारी को आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतन/ग्रेड-पे प्रदान किया गया है।

21. आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत अनुमत पे-बैंड और ग्रेड-पे में लिए गए वेतन को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के संबंध में टर्मिनल लाभों के निर्धारण के लिए आधार के रूप में लिया जाएगा।

22. यदि ग्रुप 'ए' का कोई रेलकर्मी, जो पहले सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत नहीं आता था और अब वह 30 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने के बाद सीधे तीसरे वित्तीय अपग्रेडेशन का हकदार हो गया है तो उसके वेतन का निर्धारण प्रत्येक स्टेज पर 3% वेतन निर्धारण का लाभ देते हुए, संशोधित पे-बैंडों और ग्रेड-पे के पदक्रम में निरंतर ठीक अगले तीन उच्चतर ग्रेड-पे में किया जाएगा। दूसरे वित्तीय अपग्रेडेशन के हकदार व्यक्तियों के वेतन भी तदनुसार ही निर्धारित किए जाएंगे।

23. यदि किसी कर्मचारी को अपने संगठन में सरप्लस घोषित कर दिया जाता है और नए संगठन में समान वेतनमान या निम्नतर वेतनमान में नियुक्त किया जाता है, तो उसके द्वारा पूर्व संगठन में की गई नियमित सेवा को आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन देने के उद्देश्य से उसके नए संगठन में नियमित सेवा के लिए गिना जाएगा।

24. यदि, कोई कर्मचारी पदोन्नति आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन पाने के बाद निम्नतर पद या निम्नतर वेतनमान में एक पक्षीय स्थानांतरण चाहता है, वह नए संगठन में उसके पद पर प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से, जैसा भी मामला हो, आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत 20/30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के बाद ही दूसरे और तीसरे वित्तीय अपग्रेडेशन के लिए हकदार होगा।

25. यदि नियमित पदोन्नति की पेशकश की जाती है लेकिन कर्मचारी द्वारा वित्तीय अपग्रेडेशन के लिए हकदार होने से पहले इसे अस्वीकार कर दिया जाता है, उन्हें किसी वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि कर्मचारी अवसर की अनुपलब्धता के कारण स्टैगनेट नहीं हुआ है। बहरहाल, यदि स्टैगनेशन के कारण वित्तीय अपग्रेडेशन की अनुमति दी जाती है और परिणामस्वरूप कर्मचारी पदोन्नति को अस्वीकार कर देता है, यह वित्तीय अपग्रेडेशन को वापस करने का आधार नहीं होगा। बहरहाल, उसकी पदोन्नति पर पुन: विचार किए जाने की सहमति होने तक, वह अगली वित्तीय अपग्रेडेशन के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा और दूसरे या अन्य वित्तीय अपग्रेडेशन अस्वीकार करने के कारण रोक की अवधि उतनी ही सीमा तक बढ़ा दी जाएगी।

26. पूर्ण रूप से तदर्थ आधार पर उच्चतर पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के मामलों पर भी स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अन्यों के साथ विचार किया जाएगा। उन्हें निम्नतर पद पर पदावनत होने पर वित्तीय अपग्रेडेशन का लाभ दिया जाएगा या बशर्ते कि यह तदर्थ आधार आहरित वेतन की तुलना में लाभदायक है।

27. प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन का लाभ प्राप्त करने के लिए मूल विभाग में वापस आने की आवश्यकता नहीं है। वे उनके द्वारा धारित पद के पे-बैंड और ग्रेड-पे में या आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत उन्हें स्वीकार्य वेतन जमा ग्रेड जो भी फायदेमंद हो, के वेतन का नया विकल्प दे सकते हैं।

28. <u>उदाहरण:-</u>

(क)(i) यदि पे-बैंड-1 में 1900 रुपए ग्रेड-पे का कोई रेल कर्मचारी (एलडीसी) 8 वर्ष की सेवा पूरी होने पर पे-बैंड-1 में 2400 रुपए के ग्रेड में अपनी पहली पदोन्नति (यूडीसी) पाता है और उसी ग्रेड-पे में आगे 10 वर्ष बिना किसी पदोन्नति के रहता है तो वह 18 वर्ष (8+10 वर्ष) पूरी करने के बाद (आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना) के तहत पे-बैंड-1 के 2800 ग्रेड में द्वितीय वित्तीय अपग्रेडेशन के लिए पात्र होगा।

(ii) यदि वह कोई पदोन्नति प्राप्त नहीं करता है तत्पश्चात् वह आगे 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अर्थात् 28 वर्ष (8+10+10) के बाद पे-बैंड-2 में 4200 रुपए के ग्रेड-पे में तीसरा वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त करेगा।

(iii) बहरहाल, यदि वह पे-बैंड-2 में 4200 रुपए के ग्रेड-पे में (सहायक ग्रेड/ग्रेड सी) 5 वर्ष की आगे सेवा के बाद दूसरी पदोन्नति प्राप्त करता है अर्थात् 23 वर्ष (8+10+5) पूरा होने पर तब वह 30 वर्ष पूरा होने के बाद अर्थात् 4600 रुपए के ग्रेड-पे में पे-बैंड-2 में दूसरी सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के 10 वर्ष बाद तीसरा वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त करेगा।

उपर्युक्त परिदृश्य में अपग्रेडेशन से पहले आहरित पे-बैंड और ग्रेड-पे के कुल वेतन में 3% वृद्धि हो जाएगी। बहरहाल, नियमित पदोन्नति के समय यदि यह समान ग्रेड-पे में है या उच्चतर ग्रेड-पे में होता है, दूसरा आगे कोई वेतन निर्धारण नहीं होगा। पदोन्नति के समय केवल ग्रेड-पे का अंतर मान्य होगा।

(ख) यदि किसी रेलसेवक (एलडीसी) को पे-बैंड-1 में 1900 रुपए के ग्रेड-पे में आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत पहला वित्तीय अपग्रेडेशन 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद पे-बैंड-1 में 2000 रुपए के ग्रेड पे में प्रदान किया जाता है और 5 वर्ष के बाद पहली नियमित पदोन्नति (यूडीसी) पे-बैंड-1 में 2400 रुपए के ग्रेड-पे में आता है, आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत दूसरा वित्तीय अपग्रेडेशन (रेलसेवक) द्वारा धारित ग्रेड-पे के संदर्भ में अगली ग्रेड-पे में 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद पे-बैंड-1 में 2800 रुपए के ग्रेड-पे में प्रदान किया जाएगा। 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर, वह पे-बैंड-1 में 4200 रुपए के ग्रेड-पे में तीसरा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन प्राप्त करेगा। बहरहाल, यदि दो पदोन्नतियां 20 वर्ष पूरी करने से पहले प्राप्त की जाती हैं, तो वह तीसरा वित्तीय अपग्रेडेशन दूसरी पदोन्नति की तारीख से ग्रेड-पे में 10 वर्ष की सेवा पूरे करने पर या सेवा के 30वें वर्ष में, जो भी पहले हो, मान्य होगा।

(ग) यदि किसी रेल सेवक को अक्तूबर, 1999 की सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत 24 वर्ष की नियमित सेवा के बाद या तो 2 नियमित पदोन्नतियां या दो वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किए जाते हैं तो तीसरा वित्तीय अपग्रेडेशन ही 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत अनुमेय होगा बशर्ते उसने अपने अनुक्रम में तीसरी पदोन्नति प्राप्त न की हो।

(पी.पी. पांडे)
निदेशक, वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड।